

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

श्रीमदन लाल

बनाम श्यामलाल

धारा 111-120 बाद / प्रा०प० / अपील

21/18 प्र०सं०

21/18

23.3.18

बाद जाँच बाद / प्रा०प० / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणो / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना क्लबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 9.5.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

12.6.18

पत्रावली को देखकर श्यामलाल
पर पेश। पत्रालय द्वारा लिखित पत्र
श्यामलाल बनावली विपक्षीगणो /
पत्रावली पत्रालय श्यामलाल
नाम पर लिखित पत्र

श्यामलाल बनावली

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ